

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पृष्ठ सं.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बामनीयाहवा

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बामनीयाहवा
व भूअगि पद्मभद्र की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बामनीयाहवा तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2072 सं. 1744 में खाता संख्या 195 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>बामनीयाहवा</u>	<u>195</u>	<u>मोपीबाई पति अमरचन्द बालाई</u>	<u>मोपीबाई पति अमरचन्द बालाई</u>

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा

क्रमांक: 423
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18/10/25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री पद्मभद्र को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठारीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा